

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 29/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 13.07.17

1. शुल्लू बाथम पुत्र नाथूराम बाथम आयु 30 वर्ष
निवासी ग्राम गहेली परगना मेहगांव जिला भिण्ड
म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. हाकिम सिंह पुत्र जादौन सिंह पाल आयु 32 वर्ष
जाति बघेल निवासी ग्राम धनेली थाना बिजौली परगना
व जिला ग्वालियर म0प्र0

वाहन चालक मिनी ट्रक क्र. एम.पी.-07-जी.ए.-4221

2. लालाराम पुत्र जादौन सिंह आयु 45 वर्ष जाति
बघेल निवासी ग्राम धनेली थाना बिजौली परगना व
जिला ग्वालियर म0प्र0

वाहन मालिक मिनी ट्रक क्र. एम.पी.-07-जी.ए.-4221

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा जयेन्द्र
गंज ग्वालियर म0प्र0

..... बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री रामवीर बघेल अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री राजकुमार अग्रवाल अधिवक्ता।

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 27.02.2018 को पारित)

- यह क्लेम याचिका धारा-166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 12.07.16 ग्राम छेकुरी रोड के पहले मोड़ आम रास्ते अंतर्गत थाना मौ गोहद जिला भिण्ड में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आई आवेदक शुल्लू बाथम को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्तता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि 1,84,000/-रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.16 को शाम 06:00 बजे के लगभग आवेदक शुल्लू बाथम एवं प्रकाश बाथम अपने गांव गहेली से मौ मोटरसाइकिलों से आ रहे थे तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-4461 को आवेदक चला रहा था तथा उसके पीछे प्रवेश बाथम बैठा था। एक मोटरसाइकिल को प्रकाश बाथम चला रहा था, जिसके पीछे बलराम बैठा था। आवेदक अगे चल रहा था। छेकुरी मोड़ के पास डी.सी.एम. आईशर ट्रक क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए. 4221 के चालक अर्थात् अनावेदक क्रमांक 01 हाकिम सिंह ने उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे आवेदक को चोटें आईं। आवेदक को मौ अस्पताल और उसके बाद भिण्ड अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना की रिपोर्ट उसी दिनांक को प्रकाश बाथम द्वारा की गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना से पूर्व आवेदक मजदूरी का कार्य करके प्रतिवर्ष 1,08,000/-रुपए की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में आई चोटों से आवेदक को स्थाई रूप से अपंगता आ गई है। छः माह तक वह अपने काम नहीं कर सका है। दवाईयों और इलाज में भी काफी राशि खर्च हुई है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 विधिवत् तामील होने के पश्चात वे प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहे हैं, उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है। उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए याचिका के अभिवचनों को सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि आवेदक द्वारा स्वयं ही बिना वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस के रॉन्ग साइड में क्षमता से अधिक तीन लोगों को बैठाकर चलाया जा रहा था।

इस प्रकार दुर्घटना कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का परिणाम है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. उभयपक्ष के अभिवेचनाएँ एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष विवेचना के उपरांत उनके समक्ष लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 12.07.16 को समय शाम 06:00 बजे अनावेदक क्रं0-01 ने अनावेदक क्रं0-02 के स्वामित्व के वाहन को अनावेदक क्रं0-02 के नियोजन में रहते हुए वाहन डी.सी.एम. आयशर ट्रक रजि0 क्रं0-एम.पी.-07/जी.ए.-4221 को ग्राम छेकुरी रोड के पहले मोड़ पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक आहत शुल्लू बाथम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई ?	प्रमाणित।
2. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक शुल्लू बाथम की योगदायी उपेक्षा थी ?	अप्रमाणित।
3. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक शुल्लू बाथम को गंभीर चोटें आकर उसे स्थाई निशक्तता कारित हुई ?	स्थायी निशक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं अपितु गंभीर चोट आना प्रमाणित।
4. क्या अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा अनावेदक क्रमांक 03 बीमा पॉलिसी से हुई बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया ?	अप्रमाणित।
5. क्या आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो किस दर से ?	आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 42,000/- (बयालीस हजार) रूपए प्राप्त करने का अधिकारी है।
6. अनुतोष ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

सकारण निष्कर्ष:-

वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02-

6. उपरोक्त दोनों वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न

हो।

7. शुल्लू बाथम आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 12.07.16 को शाम 06:00 बजे वह और प्रकाश बाथम अपने गांव गहेली से मौ मोटरसाइकिलों से आ रहे थे। मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-4461 को आवेदक चला रहा था तथा उसके पीछे प्रवेश बाथम बैठा था तथा एक अन्य मोटरसाइकिल प्रकाश बाथम चला रहा था और पीछे बलराम बाथम बैठा था। आवेदक आगे चल रहा था। छेकुरी मोड़ के पास डी.सी.एम. आइशर ट्रक नंबर एम.पी.-07-जी.ए.-4221 चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं। आवेदक को इलाज के लिए मौ ले जाया गया, उसके बाद भिण्ड ले जाया गया। प्रकाश बाथम के द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाई गई।

8. आवेदक की ओर से प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-07 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं, जो कि संबंधित आपराधिक प्रकरण की हैं। प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य है कि दिनांक 12.07.16 को शाम 06:00 बजे के लगभग डी.सी.एम. आइशर क्रमांक एम.पी.-07 जी.ए.-4221 के चालक ने उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं और आवेदक को मौ अस्पताल ले जाया गया तथा उसके बाद भिण्ड अस्पताल ले जाया गया। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 से आवेदक के बताए गए तथ्यों की पुष्टि होती है और यह प्रकट होता है कि उक्त आइशर डी.सी.एम. के चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर सामने से टक्कर मार दी गई है।

9. शुल्लू बाथम आ0सा0-01 के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे आवेदक के द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों पर

अविश्वास किया जाए। आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों से भी घटना की पुष्टि होती है। अनावेदकगण की ओर से अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर खण्डन में भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई या अनावेदक क्रमांक 01 हाकिम सिंह ने उक्त वाहन लोडिंग मिनी ट्रक क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-4221 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से नहीं चलाया। प्रकरण में घटना शाम 06:00 बजे की हुई है और दूसरे ही दिन सुबह 10:00 बजे रिपोर्ट कर दी गई है। इतने घंटे के विलंब को अत्यधिक विलंब होना नहीं माना जा सकता है, जहां कि आवेदक को चोटें आई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था तब इतना विलंब स्वाभाविक है।

10. पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान में अनावेदक क्रमांक 01 हाकिम सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्र0पी0-02 का अभियोगपत्र उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक 01 हाकिम सिंह के द्वारा उक्त ट्रक को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि दिनांक 12.07.16 को शाम 06:00 बजे अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन को, अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए, उक्त वाहन आइशर ट्रक क्रमांक एम.पी.-07-जी.ए.-4221 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मारी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई। अतः ऐसी स्थिति में शुल्लू बाथम की कोई योगदाई उपेक्षा होना प्रकट नहीं होती है।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

11. यह वादप्रश्न आवेदक को आई स्थाई निशक्ता के संबंध में है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा कोई निशक्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य कराई गई है।

अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना में आवेदक शुल्लू बाथम को चोटें आकर उसे स्थाई निशक्ता कारित हुई।

- 12.** प्र0पी0-04 की एम.एल.सी. का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके बाएं घुटने के नीचे उसी दिनांक 12.07.16 को 08:00 पी.एम. पर सूजन होना पाई गई है और दर्द की शिकायत होना पाई गई है। अभियोगपत्र प्र0पी0-02 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मामले में 338 भा0दं0सं0 का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपपत्र प्र0पी0-10 के अनुसार धारा-338 भा0दं0सं0 का आरोप भी विरचित किया गया है। प्र0पी0-08 एवं 09 के चिकित्सीय दस्तावेजों के अनुसार बाएं पैर की फिबुला हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया है। इस प्रकार आवेदक को फिबुला हड्डी में फ्रैक्चर होकर गंभीर चोट आना प्रमाणित है।

वादप्रश्न क्रमांक 04:-

- 13.** यह वाद प्रश्न बीमा संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है, परंतु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अंतिम तर्क के समय भी कोई ब्रीच न होना व्यक्त किया गया है। बीमा कंपनी की ओर से प्र0डी0-01 की बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार उक्त वाहन आइशर ट्रक इंजन नंबर 263949 दिनांक 03.01.16 से दिनांक 02.01.17 की अवधि के लिए बीमित था अर्थात् जप्ती पंचनामा प्र0पी0-06 के अनुसार उक्त चेसिस नंबर और इंजन नंबर का ट्रक जप्त हुआ है, जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई है।
- 14.** दुर्घटना दिनांक 12.07.16 की है। इस प्रकार प्र0डी0-01 की बीमा कंपनी पॉलिसी के अनुसार प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रं. 03 की बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित था। यह प्रमाणित

नहीं होता है कि बीमा संविदा की शर्तों का कोई उल्लंघन किया गया है।

वादप्रश्न कमांक 05:-

15. यह वादप्रश्न क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के संबंध में है। प्र0पी0-04 की एम.एल.सी. रिपोर्ट एवं प्र0पी0-08 एवं 09 के चिकित्सीय दस्तावेजों से प्रकट है कि आवेदक को फ्रेक्चर होकर गंभीर चोट आई है। अतः मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में उसे 20,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।
16. आवेदक के बाएं पैर में फिबुला हड्डी में फ्रेक्चर हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में वह कम से कम तीन माह अपना सामान्य कार्य करने से विरत रहा होगा उसे किसी न किसी ने अटेण्ड किया होगा और उसका सहयोग किया होगा। अतः अटेण्डर के मद में 7,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।
17. आवेदक ने अपने संपूर्ण साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि वह क्या कार्य करता है और उससे कितनी आमदनी उसे हो जाती है। यद्यपि उसने मजदूरी करना बताया है। शुल्लू बाथम आ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह स्वीकार किया है कि मजदूरी के कार्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।
18. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मासिक मान्य की जाती है। आवेदक तीन माह तक अपना सामान्य कार्य

करने से विरत रहा है। अतः उसे तीन माह की आय की हानि 15,000/-रुपए दिलाई जाती है।

19. इलाज के व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, भर्ती रहने का भी कोई प्रमाणपत्र नहीं है। शुल्लू बाथम आ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका कोई इलाज नहीं चल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विशेष आहार, आवागमन एवं इलाज के व्यय की राशि उसे नहीं दिलाई गई।

20. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्न प्रकार से राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	20,000/-रुपए
2.	आय की हानि	15,000/-रुपए
3.	अटेण्डर के मद में	7,000/-रुपए
	कुल राशि	42,000/-रुपए

वादप्रश्न क्रमांक 05 सहायता एवं वाद व्यय :-

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने से सफल रहा है। आवेदक यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त प्रश्नगत आईशर मिनी ट्रक क्रमांक एम.पी. -07-जी.ए.-4221 को अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहकर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार कर आवेदक को अस्थिभंग कर गंभीर उपहति कारित की गई।

22. अतः क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया

जाता है:-

1. अनावेदकगण आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि **42,000 /-(बयालीस हजार) रूपए** अधिनिर्णय दिनांक 27.02.2018 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 13.07.2017 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करें।
3. आवेदक को उपरोक्त क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान का सर्वप्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी का होगा।
4. आवेदक को प्राप्त होने वाली उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि **42,000 /-(बयालीस हजार) रूपए** एवं उस पर ब्याज की राशि आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000 /-रूपए निर्धारित किया जाता है। उपरोक्तनुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड